

दुमका समाहरणालय

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रपत्र XVII

अधिनियम की धारा-93(1) के अन्तर्गत

वापसी अधिसूचना

संख्या-554/जी.एल.ए. दुमका- 53/2017-18/दुमका, दिनांक-21/11/18

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-93(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित सरकार अर्जनाधीन भूमि के अधिसूचित खेसरा संख्या-685, कुल रकवा-0.02 एकड़ को वापस किया जाता है। शेष खेसराओं की अर्जन की स्थिति यथावत रहेगी। अधिसूचित कुल रकवा 3.58 एकड़ जो ग्राम-धरमपुर, थाना-जरमुण्डी, थाना सं0-19, अंचल-जरमुण्डी, जिला-दुमका में अवस्थित है, जिसे जिला के गजट के अंक संख्या-762 दिनांक-15.12.2017 में पृष्ठ संख्या-02 तथा दो दैनिक समाचार पत्रों प्रभात खबर, देवघर एवं स्वेत पत्र, देवघर में दिनांक-01.12.2017 को प्रकाशित कर अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित भूमि का किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया गया है जिस कारण हितबद्ध व्यक्तियों को भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-93(2) के तहत किसी तरह का क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि देय नहीं होगा। अधिसूचित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र. सं.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)				
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	25	685	अनावादी	रास्ता	0.02	झारखंड सरकार	रास्ता	मौजा बगोली	पचरोडीह	683	

ज्ञापांक-554/जी0 भू0 अ0, दुमका दिनांक-21/11/18

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका/अंचल अधिकारी जरमुण्डी/ कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित अंचलाधिकारी, जरमुण्डी इस वापसी अधिसूचना की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक-554/जी0 भू0 अ0, दुमका दिनांक-21/11/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच-पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांक-554/जी0 भू0 अ0, दुमका दिनांक-21/11/18

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक-554/जी0 भू0 अ0, दुमका दिनांक-21/11/18

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दुमका को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-३०/२०१३ की धारा-१५ में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

ग्राम-.....X....., थाना-.....X....., थाना सं०-.....X....., अंचल-.....X....., जिला-.....X....., रकबाX....., एकड़ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

✓
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 556/जि० भू० अ०, दुमका दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी दुमका/भूमि सुधार उप समाहर्ता दुमका/अंचल अधिकारी, जरमुण्डी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दुमका/हितबद्ध या संबंधित व्यक्तियों पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचलाधिकारी, जरमुण्डी इस अधिघोषणा की एक प्रति ग्राम के मुख्य स्थल पर अवश्य चिपकायेंगे।

✓
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 556/जि० भू० अ०, दुमका दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी जिला गजट शाखा दुमका को अगले अंक में प्रकाशित करते हुए पाँच-पाँच प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

✓
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 556/जि० भू० अ०, दुमका दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

✓
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक- 556/जि० भू० अ०, दुमका दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दुमका को जिले के वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

✓
उपायुक्त,
दुमका।